

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 9/2020 प्रार्थना पत्र
उनवान

प्राधिकृत अधिकारी - यूनाईटेड
बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर क्षेत्रीय
कार्यालय 51-ए एवरेस्ट
कॉलोनी, लाल कोठी, टोंक रोड,
जयपुर- 302015

बनाम

मैसर्स एस.के. एण्टरप्राइजेज (प्रोपाराइटर) श्री
सादीक खान पठान पता- प्लॉट नं. 6,
इन्दिरा कॉलोनी, वार्ड नं. 26, माण्डल
(पंचायत समिति के पीछे), तहसील माण्डल
जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002


प्राधिकृत अधिकारी- अशोक कुमार,

निर्णय

दिनांक : 13-1-2020

प्राधिकृत अधिकारी, अशोक कुमार, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय 51-ए एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर- 302015 की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 06,00,000/- रुपये का ऋण दिनांक 21.02.2014 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति - श्रीमती शकील बानु पठान पत्नी श्री सादीक खान पठान की सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 6, इन्दिरा कॉलोनी, वार्ड नं. 26, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी माप लगभग 1100 वर्ग फीट है। जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 20.12.2018 तक कुल बकाया ऋण की राशि 3,54,436/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को दिनांक: 31.12.2018 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।
2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13-/-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/20
(राजेंद्र भट्ट)
जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा